

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021/754

जयपुर, दिनांक : 28/07/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
----- |

विषय:- डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि मैसर्स HTS RFID SYSTEM को नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित वाहनों में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) B(II)& 115[(15)(a),(aa) & (b)(ii(B))] 115(2)(i) and 115 B(1)E के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type Category &	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
ALPSV 4/186	5760	M3-Bus	15660	41 persons	ICAT, CAO A0271, 19-11-2019

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type Category &	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Ashok Leyland Ecomet 1212	3839	N2 (Goods Carrier)	11990	3 persons	ICAT, CAO A0272, 19-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type Category &	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
Ashok Leyland Ecomet 1012	3839	N2 (Goods Carrier)	1 st April 2010 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAO A0272L01, 23-07-2020
Ashok Leyland Ecomet 1214	3839			
Ashok Leyland Ecomet 1112	3839			
Ashok Leyland Ecomet 1412	3839			
Ashok Leyland Ecomet 1615	3839			
Ashok Leyland Ecomet 1612	3839			

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Swaraj Mazda Super		3455	N2 (Goods Carrier)	11900	3 persons	ICAT, CAOAO273, 18-11-2019

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Bharat Benz 1214		3907	N3 (Goods Carrier)	12800	2 persons	ICAT, CAOAO277, 21-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
Bharat Benz 914 R	3907	N3 (Goods Carrier)	1 st january 2013 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO277 L01, 23-07-2020
Bharat Benz 1015 R	3907			
Bharat Benz 1515 R	3907			
Bharat Benz 1617 R	3907			
Bharat Benz 1217 C	3907			
Bharat Benz 1415 R	3907			
Bharat Benz 1214 R	3907			
Bharat Benz 1215 R	3907			

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Mahindra Truxo 25		7118	N3 (Goods Carrier)	25000	3 persons	ICAT, CAOAO286, 22-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
Mahindra Truxo 31	7118	N3 (Goods Carrier)	1 st january 2016 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO286 L01, 24-07-2020
Mahindra Truxo 37	7118			
Mahindra Blazo X25	7118			
Mahindra Blazo X35	7118			
Mahindra Blazo X49	7118			
Mahindra Blazo X28	7118			
Mahindra Blazo X55	7118			
Mahindra Blazo X42	7118			
Mahindra Blazo X46	7118			
Mahindra Blazo X40	7118			
Mahindra Blazo X31	7118			

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Bharat Benz 2523		6373	N3 (Goods Carrier)	25000	3 persons	ICAT, CAOAO289, 26-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
Bharat Benz 2528	6373	N3 (Goods Carrier)	1 st January 2014 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO289 L01, 23-07-2020
Bharat Benz 3123 R	6373			
Bharat Benz 4223 R	6373			
Bharat Benz 1623 C	6373			
Bharat Benz 3723 R	6373			
Bharat Benz 2523 R	6373			
Bharat Benz 4023	6373			

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

जयपुर, दिनांक 28.7.21

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021 / 755-57
प्रतिलिपि:-

- M/s. HTS RFID SYSTEM, HR 18A, Gali No. 10, industrial area, Anand Parbat, New Delhi-110005. को सूचनार्थ प्रेषित है।
- Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय।
- N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

28.7.21

राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021/758

जयपुर, दिनांक : 28/07/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

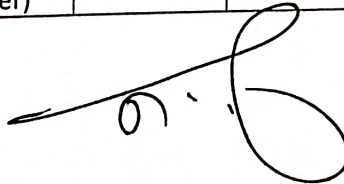
उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि मैसर्स HTS RFID SYSTEM को नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित वाहनों में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) B(II)& 115[(15)(a),(aa) & (b)(ii(B)) 115(2)(i) and 115 B(1)E) के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट एजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
Ashok Leyland 3116	5760	N3 (Goods Carrier)	31000	3 persons	ICAT, CAPA0167, 20-07-2020

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
Ashok Leyland 2516	5760	N3 (Goods Carrier)	1 st April 2010 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAPA0167 L01, 17-08-2020
Ashok Leyland 2518	5760			
Ashok Leyland 1616	5760			
Ashok Leyland 3718	5760			
Ashok Leyland 4923	5760			
Ashok Leyland 3518	5760			
Ashok Leyland 3118	5760			
Ashok Leyland 4019	5760			
Ashok Leyland 4018	5760			
Ashok Leyland 4023	5760			

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
TATA LPK 2518	5883	N3 (Goods Carrier)	25000	3 persons	ICAT, CAPA0168, 21-07-2020



Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
TATA LPT 1613	5883	N3 (Goods Carrier)	1 st January 2011 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAPA0168 L01, 17-08-2020
TATA LPK 2523	5883			
TATA LPT 2515	5883			
TATA LPT 2516	5883			
TATA LPT 3118	5883			
TATA LPS 3516	5883			
TATA LPT 3518	5883			
TATA LPT 3718	5883			
TATA LPT 3723	5883			
TATA LPS 4923	5883			
TATA LPS 4018	5883			
TATA SIGNA 3118	5883			
TATA SIGNA 2518	5883			
TATA SIGNA 2818	5883			
TATA SIGNA 3718	5883			
TATA SIGNA 3518	5883			
TATA SIGNA 2823	5883			
TATA SIGNA 4018	5883			
TATA SIGNA 4923	5883			
TATA PRIMA LX 2523	5883			
TATA PRIMA LX 3123	5883			

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ संलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment, को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

28.7.21

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021/759- 61

जयपुर, दिनांक 28/07/2021

प्रतिलिपि:-

1. M/s. HTS RFID SYSTEM, HR 18A, Gali No. 10, industrial area, Anand Parbat, New Delhi-110005. को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analyst cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

28.7.21

**राजस्थान सरकार,
परिवहन विभाग**

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021 /756

जयपुर, दिनांक : 28/07/2021

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,

विषय:- डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों जो वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे हैं, में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि मैसर्स HTS RFID SYSTEM को नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित वाहनों में CNG Kit के पुनः फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) B(II)& 115[(15)(a),(aa) & (b)(ii(B))]] 115(2)(i) and 115 B(1)E के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये हैं। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले-आउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
TATA LPO 1612	5883	M3- BUS	15000	52 persons	ICAT, CAOAO265, 13-11-2019

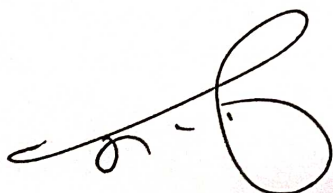
Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
TATA LPO 1515	5883	M3- BUS	1 st April 2010 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO265 L01, 17-08-2020
TATA LPO 1623	5883			
TATA LPO 1512	5883			
TATA LPO 1618	5883			
TATA LPO 1613	5883			

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
EICHER 20.16	4948	N3-HCV	16200	3 persons	ICAT, CAOAO266, 14-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
EICHER 30.25	4948	N3-HCV	1 st April 2011 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO266 L01, 23-07-2020
EICHER 35.31	4948			
EICHER 40.35	4948			



"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
TATA 1613		5675	N3-HCV	16200	3 persons	ICAT, CAOAO267, 14-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
TATA 1616	5675	N3-HCV	1 st April 2011 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO267 L01, 23-07-2020
TATA 1510	5675			
TATA 1116	5675			
TATA 1615	5675			

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
EICHER 11.10		3298	N2-LCV	11950	3 persons	ICAT, CAOAO269, 15-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
EICHER 10.50 PRO	3298	N2-LCV	1 st April 2010 till validity of Bharat Stage IV norms	ICAT, CAOAO269L01, 16-07-2020
EICHER 10.59 PRO				
EICHER 10.75 PRO				
EICHER 10.80 PRO				
EICHER 10.90 PRO				
EICHER 10.95 PRO				
EICHER 11.10 PRO				
EICHER 11.12 PRO				
EICHER 11.14 PRO				
EICHER 11.55 PRO				
EICHER 20.49 PRO				
EICHER 20.95 PRO				
EICHER 10.59				
EICHER 10.90				
Eicher 11.12				
EICHER 10.95				

"IN-USE" MODEL	BASE	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	GVW (Kg)	Seating Capacity (incl. driver)	Type Approval Certificate No. & Date
TATA 1109		3783	N2	11900	3 persons	ICAT, CAOAO270, 18-11-2019

Variants

"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM ³ (CC)	Type & Category	Vintage of vehicles	Type Approval Certificate No. & Date
TATA 410	3783	N2	1 st April 2010 till validity of	ICAT, CAOAO270L01, 24-07-2020
TATA 709				

TATA 909			Bharat Stage IV norms	
TATA 912				
TATA 1110				
TATA 1112				
TATA 712				
TATA LPT 407				
TATA 1114				
TATA 1212				
TATA 1010				
TATA 1412				
TATA 1512				
TATA 810				
TATA 1012 ULTRA				
TATA 1412 ULTRA				
TATA 812 ULTRA				

- इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त वाहन मॉडल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावे।
- वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
- केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप में किये गये CNG Kit के पुनः Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्टि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CNG Kit के सिलेण्डर (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्टि का अंकन किया जावे।
- वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

जयपुर, दिनांक 28/07/21

क्रमांक प.7(38)(679)परि/नियम/मु./2021/751-53
प्रतिलिपि:-

- M/s. HTS RFID SYSTEM, HR 18A, Gali No. 10, industrial area, Anand Parbat, New Delhi-110005. को सूचनार्थ प्रेषित है।
- Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
- N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

28. 7. 21.